राष्ट्रीय महिला आयोग
(National Commission for Women)

यह एक सांविधिक निकाय है जिसका गठन, महिलाओं के लिये राष्ट्रीय आयोग अधिनियम 1990 के तहत वर्ष 1992 में किया गया था।

It is a statutory body which was established in the year 1992 under the "National Commission for Women Act 1990."

 # नोडल मंत्रालय (Nodal Ministry) :→ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (Ministry of Women and Child Development)

 # उद्देश्य (Objectives) :→

(i) महिलाओं के लिये संवैधानिक एवं वैधानिक सुरक्षोपायों की समीक्षा करना।
(To review the constitutional and legal safeguards for women)

(ii) उपचारात्मक वैधानिक उपायों की सिफारिश करना।
(To recommend remedial legislative measures)

(iii) शिकायतों के समाधान को बढ़ावा देना।
(To facilitate the redressal of grievances)

(iv) महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों पर सरकार को परामर्श देना।
(To advise the government on all policy matters affecting women)

Target for IQ
YouTube/ Telegram
7500110314

संरचना (Composition) :-

एक अध्यक्ष (Chairperson) :→ अध्यक्ष महिलाओं के हितों के लिये प्रतिबद्ध व्यक्ति को बनाया जाना चाहिये।
(The chairperson should be someone who is committed to the cause of women.)

Target for IQ
YouTube/ Telegram
7500110314

पांच सदस्य (Five Members) :→ सदस्यो का चयन योग्यता व सत्यनिष्ठा के अलावा कानून या विधायन ट्रेड यूनियनवाद, महिलाओ की रोजगार संभावना बढ़ाने वाले उद्योग या संगठन के प्रबंधन, महिलाओं के गैर सरकारी संगठनों, प्रशासन, आर्थिकविकास, स्वास्थ्य, शिक्षा या सामाजिक कल्याण से जुड़े अनुभवों के आधार पर किया जाता है।
(The members should be from amongst person of ability, integrity and standing who have had experience in law or legislation, trade unionism, management of an industry or an organisation committed to increasing the employment potential of women, women's voluntary organisations, administration, economic development, health, education or social welfare.)

नोट :→ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से जुड़ा एक-एक सदस्य भी आयोग में होना चाहिये।
(At least one member each should belong to the Scheduled Caste and Scheduled Tribes, respectively.)

सदस्य- सचिव (Member- Secretary):-

(i) सदस्य सचिव, संगठनात्मक संरचना या सामाजिक आंदोलन के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ होना चाहिये।

(The member- secretary should be an expert in the field of management Organisational structure or socialogical movement.) or

(ii) केन्द्र की सिविल सेवा या अखिल भारतीय सेवा का एक अधिकारी होना चाहिये।

(An officer who is a member of civil service of the Union or an All India Service)

Target for IO
YouTube/ Telegram
7500110314

नामांकन (Nominated by) :→ केंद्र सरकार (महिला एवं बाल विकास मंत्रालय)
Central Government (Ministry of Women and Child Development)

वेतन-भत्ते व अन्य सेवा शर्तें (Salaries, Allowances and other service conditions) :→ केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित
(Prescribed by the Central Government)

कार्यकाल (Tenure) :→ 03 वर्ष

नोट:→ केन्द्र सरकार निम्न परिस्थितियों में अध्यक्ष या किसी सदस्य को उसका कार्यकाल पूरा होने से पहले भी हटा सकती है:-

The central Government can also remove the chairperson or a member from the office (before the expiry of his/her term) under the following circumstances:-

1. यदि उसे दिवालिया घोषित किया गया है।
If the individual becomes an undischarged insolvent.

Scanned with OKEN Scanner

2. यदि उसे किसी ऐसे अपराध के लिये दोषी सिद्ध किया गया है और सजा दी गयी है जो केन्द्र सरकार की दृष्टि में नैतिक कदाचार माना जाता है;

(If the individual gets convicted and sentenced to imprisonment for an offence which (in the opinion of the Central Government) involves moral turpitude;)

3. यदि उसे एक सक्षम अदालत द्वारा मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित किया गया है;

(If the individual is declared of unsound mind by a competent court)

4. यदि वह कार्य करने से मना करता है या कार्य करने में अक्षम हो जाता है;

(If the Individual refuses to act or becomes incapable of acting.)

5. यदि वह आयोग की लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहता है; (आयोग से अनुपस्थिति की अनुमति लिये बिना)

If the individual absents himself/herself from three consecutive meetings of the commission; (without obtaining leave of absence from the Commission)

6. यदि वह अपने पद का दुरुपयोग करता है और केन्द्र सरकार की दृष्टि में उसका पद पर बने रहना सार्वजनिक हित के लिये हानिकार मान लिया जाता है

(If the individual has abused one's official position which (in the opinion of the Central Government) renders one's continuance in the office as detrimental to the public Interest.

Target for IQ 7500110314
Target for IQ YouTube/ Telegram 7500110314

कार्य (Functions) :-

(i) संविधान एवं अन्य कानूनों के अधीन महिलाओं को उपलब्ध कराये गये सुरक्षोपायों से जुड़े सभी मामलों की जांच एवं परीक्षण करना।

To investigate and examine all matters relating to the safeguards provided for women under the Constitution and other laws.

(ii) महिलाओं को प्रभावित करने वाले संविधान के मौजूदा उपबंधों और अन्य कानूनों की समीक्षा करना तथा इस प्रकार के कानूनों में किसी भी प्रकार की कमी को पूरा करने के लिये संशोधनों का सुझाव देना।

To review the existing provisions of the Constitution and other laws affecting women and recommend amendments to meet any inadequacies in such laws.

(iii) महिलाओं से जुड़े संविधान के उपबंधो एवं अन्य कानूनो के उल्लंघन के मामले को हाथ में लेना।

To take up the cases of violation of the provisions of the constitution and other laws relating to women.

(iv) महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक विकास की नियोजन प्रक्रिया पर परामर्श देना और उसमें भागीदारी करना।

To participate and advice on the planning process of socio-economic development of women.

(v) संघ और किसी भी राज्य के अधीन महिलाओं के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना।

To evaluate the progress of the development of women under the Union and any State.

Target for IQ
YouTube/Telegram
7500110314

(vi) किसी भी ऐसे मुकदमें को वित्त उपलब्ध कराना जिसमें महिलाओं के एक बड़े हिस्से को प्रभावित करने वाले मुद्दे निहित है।

To fund litigation involving issue affecting a large body of women.

(vii) महिलाओं से जुड़े किसी भी मामले या महिलाओ के समक्ष आने वाली विभिन्न कठिनाइयो से जुड़े मामलों पर सरकार को समय-समय पर रिपोर्ट देना।

To make periodical reports to the government on any matter pertaining to women and in particular various difficulties under which women toil.

Target for ID - 7500110314

शक्तियां (Powers) :→

Target for IQ
YouTube/Telegram
7500110314

किसी भी शिकायत की जांच पड़ताल या किसी मामले की जांच करते समय आयोग को एक सिविल अदालत की सभी शक्तियां विशेषतः निम्नलिखित मामलों में प्राप्त होती है—

The Commission, while investigating any matter or inquiring into any complaint, has all the powers of a civil court trying a suit and in particular in respect of the following matters:-

1. भारत के किसी भी भाग से किसी भी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिये बाध्य करना और उसका शपथ के आधार पर परीक्षण करना।
Summoning and enforcing the attendance of any person from any part of India and examining him/her Oath.

Scanned with OKEN Scanner

2. किसी भी दस्तावेज की खोज और उत्पादन की मांग करना।
Requiring the discovery and Production of any document.

3. शपथ-पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना।
Receiving evedence on affidavits.

Target for IQ
YouTube/ Telegram
7500110314

4. किसी भी अदालत या कार्यालय से किसी सार्वजनिक अभिलेख की मांग करना।
Requisitioning any public record from any court or office.

5. गवाहों और दस्तावेजों के परीक्षण हेतु समन जारी करना।
Issuing summons for the examination of witnesses and documents.

6. केन्द्र सरकार द्वारा सौंपे गये किसी अन्य मुद्दे को निपटाना।
Any other matter which may be prescribed by the Central Government.

Target for IQ - 7500110314

Scanned with OKEN Scanner